न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 08 / 2026

(GCMS: 2026/14)

राज्य सरकार जरिये कविता, **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर**

बनाम

जयपाल पुत्र श्री लालचंद उम्र 27 साल जाति सुथार निवासी ढाबा झालार, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 90791–63035

22.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी जयपाल के अधिवक्ता श्री संदीप कुमार एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। **पत्रावली के संक्षिप्त इस प्रकार है** कि :

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्टेट की ओर से श्रीमती कविता जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर की ओर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 09.01.2026 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ, सूरतगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 गांव पालीवाला, सूरतगढ बस स्टैण्ड के पास फौजी दा ढाबा एवं विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्क्स के बीच स्थित एक बेनाम दुकान पर पहुंचे। मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना परिचय जयपाल पुत्र श्री लालचन्द उम्र 27 साल जाति सुथार निवासी ढाबा झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर बताया, जिसने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान में 02 सफेद रंग के बड़े प्लास्टिक टैंक पाये गये। मौके पर जयपाल उक्त प्लास्टिक की क्षमता 1500 लीटर प्रति टैंक होना बताया गया। दोनों प्लास्टिक टैंक आपस में पीवीसी पाईप मय वॉल्व से जुड़े पाये गये जो कि पीवीसी पाईप के द्वारा दीवार पर लगी **एक इलैक्ट्रॉनिक संचालित आउटलेट रीडिंग मीटर मय नोजल से जुडी पायी गयी।** मौके पर दीवार पर लगी मीशन पर ats fursion powerful solution मोबाईल नम्बर 70237–04985 लिखा पाया गया। उक्त मशीन पर non commercial use लिखा हुआ [illegible]। **मौके पर मशीन में sale, liter, price की डिस्प्ले एवं काले रंग [illegible] पाया गया।** उक्त मशीन से इनपुट पाईप एवं आउटलेट नोजल लगी हुई पायी गयी। मौके पर जयपाल ने बताया कि दुकान में स्थित [illegible]स्टिक टैंको में MHO(पेट्रोलियम पदार्थ) भरा हुआ था। मौके पर दुकान में 02 नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम पाये गये, जिनमें पूछने पर श्री जयपाल ने बताया कि इनमें पेट्रोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या 08 / 2026
सरकार बनाम जयपाल
(GCMS No. 2026/14)

एवं डीजल भरा हुआ होना बताया गया। मौके पर दुकान में एक प्लास्टिक की छोटी कैनी जो टूंटी से जुड़ी हुयी पायी गयी जिसमें जयपाल द्वारा पेट्रोल होना बताया गया। उक्त दुकान में 06 प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल भरा पाया गया। उक्त दुकान में 01 मोटर पाईप से जुड़ी पायी गयी। **जयपाल ने बातया कि उक्त मोटर का उपयोग डीजल / पेट्रोल / MHO(पेट्रोलियम पदार्थ) के बेचान में किया जाता है।** मौका पर दुकान में 05 लोहे के माप क्षमता 20 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 02 लीटर एवं 01 हस्तचलित डीजल पम्प एवं 01 लोहे की कीप पायी गयी। **मौका पर दुकान में 01 हिसाब किताब रजिस्टर "My vision" मार्का पाया गया जिसमें प्रथम पृष्ठ पर दिनांक 27 / 12 अंकित है एवं पेज संख्या 01 ता 06 तक हिसाब लिखा हुआ पाया गया।** जयपाल ने बताया कि वह डीजल / पेट्रोल / MHO(पेट्रोलियम पदार्थ) कैंचिया, जिला हनुमानगढ़ से लाकर ट्रको, ट्रैक्टर, जीप, कार, मोटरसाईकिल एवं वाहनों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार विक्रय किया जाता है। **जयपाल द्वारा डीजल / पेट्रोल / MHO (पेट्रोलियम पदार्थ) के भण्डारण / बेचान / परिवहन संबंधी कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र / परमिट व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।** मौके पर डीजल / पेट्रोल / MHO (पेट्रोलियम पदार्थ) के वैध दस्तावेज के अभाव एवं अनाधिकृत रूप से पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण एवं विक्रय करने के कारण जरिये फर्द जब्ती समस्त सामगी मय पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त किया गया। मौके पर जब्तशुदा सामग्री एवं डीजल / पेट्रोल / MHO(पेट्रोलियम पदार्थ) का मापन एवं सैम्पलिंग की कार्यवाही की गई।

इस प्रकार जयपाल पुत्र श्री लालचंद उम्र 27 साल जाति सुथार निवासी ढाबा झालार, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू) (आर), 03(4) (6) [illegible] उक्त जब्तशुदा समस्त प्लास्टिक टैंको मय MHO (पेट्रोलि[illegible] पदा[illegible]000 लीटर, 2 प्लास्टिक ड्रम (बरंग नीला), प्ला[illegible] 05 लोहे [illegible] 01 लोहे की कीप, 01 हस्तचलित पम्प, आउटलेट रीडिंग मीटर, 01 [illegible] मय पाईप, 01 हिसाब किताब रजिस्टर, प्लास्टिक बोतलें एवं 55 लीटर पेट्रोल, 210 लीटर डीजल को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या 08/2026
सरकार बनाम जयपाल
(GCMS No. 2026/14)

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने **जवाब** में दिये गये तथ्यों को **दोहराते हुए** कथन किया कि प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार के अवैध भंडारण/व्यापार नहीं किया गया है, उक्त पदार्थ उसके निजी/**व्यवसायिक उपयोग** हेतु रखा गये थे, जिनका उपयोग कृषि कार्य, मशीनरी संचालन, घरेलू वाहनों आदि के लिए किया जना था।

उनका आगे यह भी कथन है कि सभी पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है तथा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 में 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण बिना अनुप्ति के किया जा सकता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्तशुदा 55 लीटर पेट्रोल, 210 लीटर डीजल व 2000 लीटर MHO (पेट्रोलियम पदार्थ) पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अन्तर्गत आती है जिसका उपभोग प्रार्थी के ट्रैक्टरों, मशीनरी संचालन आदि में किया जाना था जो कि ऐसी मात्रा नहीं है, **जिसको खुदार व्यापार की मात्रा मानी जाए।** यह मात्रा व्यवसायिक भंडारण की श्रेणी में नहीं आता हैं

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्तशुदा 55 लीटर पेट्रोल प्रार्थी ने अपनी Bike Bajaj Platina के लिए व कृषि उपकरणों की साफ सफाई के लिए रखा हुआ था, जिसे व्यवसायिक भण्डारण की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्तुशदा कुल पेट्रोलियम पदार्थ 2265 लीटर है जबकि पेट्रोलियम अधिनियम 1934 में कुल 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण की छूट प्रदान की गई है तथा जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ का व्यवसाय या परिवहन में उपयोग नहीं किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि ड्रम से मशीन में ईंधन डालने हेतु मोटर एवं पाईप का **उपयोग सामान्य औद्योगिक प्रक्रिया** है यह स्वयं में व्यवसायिक विक्रय का प्रमाण नहीं है और मौके पर कोई सार्वजनिक विक्रय गतिविधि नहीं पाई गई और न ही विक्रय का कोई साक्ष्य पाया गया है तथा बरामदी व जब्ती कार्यवाही के समय कोई ग्राहक पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल व पेट्रोल खरीद नहीं था।

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्तशुदा रजिस्टर में प्रार्थी के कृषि फार्म/मशीनरी संचालन/ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल का हिसाब किताब रखना होता है तथा डीजल सीमित मात्रा के माप को ट्रेक्टरों में डाल के देना होता है ताकि डीजल का दुरूपयोग ना हो। संयुक्त कृषि कार्यो का हिसाब किताब पारिवारिक सदस्यों को भी बताना पडता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की अवैध व्यापार की मंशा कहीं भी प्रतीत नहीं होती क्योंकि न तो विक्रय का कोई प्रमाण है और न ही पेट्रोलियम पदार्थ का जमा करने से अवैध व्यापार का उद्देश्य प्रकट हुआ है और ना पेट्रोलियम पदार्थ को जमा करने से बाज़ार प्रभावित हुआ है। जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ वाणिज्यक भंडारण की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ तथा उपकरण आदि सुपुर्दगी पर लौटकर प्रकरण निरस्त करने तथा प्रार्थी की सील्ड की गई दुकान को अनसील्ड करवाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल ने कथन किया कि अप्रार्थी जयपाल स्वयं ने फर्द मौका व जब्ती पर हस्ताक्षर किये थे, जिसमें उसने जब्तुशदा 55 लीटर पेट्रोल, 210 लीटर डीजल व 2000 लीटर MHO (पेट्रोलियम पदार्थ) को कैंचिया जिला हनुमानगढ़ से लाकर, उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय करना बताया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी ने अपनी दुकान में एक **इलेक्ट्रोनिक संचालित आउटलेट रीडिंग मीटर मय नोजल से जुडी पायी गई। जो वाहनों में नापकर पेट्रोलियम पदार्थ को विक्रय करने हेतु लगा रखा था।** जिसका अप्रार्थी ने कोई लाइसेंस या स्वीकृति पेश नहीं की है, जबकि **आउटलेट रीडिंग को बिना लाईसेंस के नहीं लगाया जा सकता है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्ती के समय समस्त पेट्रोलियम पदार्थ अप्रार्थी जयपाल ने स्वयं का होना स्वीकार कर, फर्द मौका मय जब्ती पर हस्ताक्षर किये थे तथा बिना किसी वैध दस्तावेज/लाईसेंस/अनुज्ञा पत्र के अनाधिककृत पेट्रोलियम पदार्थ को भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा था। जिससे **स्पष्ट है कि अप्रार्थी पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय के कार्य में लिप्त है। इसलिए अप्रार्थी से जब्त किये गये पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य सामग्री को राजसात किया जावे।**

मैनें, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व अन्य प्रस्तुत दस्तावेज, का भी ध्यानपूर्व अवलोकन किया तो पाया कि 09.01.2026 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन [illegible] सूरतगढ़ [illegible] 62 गांव पालीवाला, सूरतगढ बस स्टैण्ड के पास फौजी [illegible] बा [illegible] विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्क्स के बीच स्थित एक [illegible] का मालिक जयपाल पुत्र श्री लालचन्द उम्र 27 साल जाति सुथार निवासी ढाबा झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर उपस्थित था, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौका पर दुकान में 05 लोहे के माप क्षमता 20 लीटर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

10 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 02 लीटर एवं 01 हस्तचलित डीजल पम्प एवं 01 लोहे की कीप पायी गयी। **मौका पर दुकान में 01 हिसाब किताब रजिस्टर "My vision" मार्का पाया गया जिसमें प्रथम पृष्ठ पर दिनांक 27/12 अंकित है एवं पेज संख्या 01 ता 06 तक हिसाब लिखा हुआ पाया गया।** जयपाल ने बताया कि वह डीजल/पेट्रोल/MHO(पेट्रोलियम पदार्थ) कैंचिया, जिला हनुमानगढ़ से लाकर ट्रकों, ट्रैक्टर, जीप, कार, मोटरसाईकिल एवं वाहनों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार विक्रय किया जाता है। **जयपाल द्वारा डीजल/पेट्रोल/MHO (पेट्रोलियम पदार्थ) के भण्डारण/बेचान/परिवहन संबंधी कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र/परमिट व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।** मौके पर डीजल/पेट्रोल/MHO(पेट्रोलियम पदार्थ) के वैध दस्तावेज के अभाव एवं अनाधिकृत रूप से पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण एवं विक्रय करने के कारण जरिये फर्द जब्ती समस्त सामगी मय पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त किया गया। मौके पर जब्तशुदा सामग्री एवं डीजल/पेट्रोल/MHO(पेट्रोलियम पदार्थ) का मापन एवं सैम्पलिंग की कार्यवाही की गई। इस प्रकार अप्रार्थी जयपाल द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध रूप से खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन के कारण**, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने जब्तशुदा समस्त प्लास्टिक टैंको मय MHO (पेट्रोलियम पदार्थ) 2000 लीटर, 2 प्लास्टिक ड्रम (बरंग नीला), प्लास्टिक कैनी, 05 लोहे के माप, 01 लोहे की कीप, 01 हस्तचलित पम्प, आउटलेट रीडिंग मीटर, 01 मोटर मय पाईप, 01 हिसाब किताब रजिस्टर, प्लास्टिक बोतलें एवं 55 लीटर पेट्रोल, 210 लीटर डीजल को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 व पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत बने आदेश है, इसलिए उक्त 2005 एवं 1999 के आदेशों के प्रावधानों की अवहेलना होने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) के तहत कार्यवाही की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:38 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी जयपाल पर ही था कि उसके द्वारा किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

अप्रार्थी जयपाल पुत्र लालचंद से जब्तशुदा प्लास्टिक टैंको मय MHO (पेट्रोलियम पदार्थ) 2000 लीटर, 2 प्लास्टिक ड्रम (बरंग नीला), प्लास्टिक कैनी, 05 लोहे के माप, 01 लोहे की कीप, 01 हस्तचलित पम्प, आउटलेट रीडिंग मीटर, 01 मोटर मय पाईप, 01 हिसाब किताब रजिस्टर, प्लास्टिक बोतलें एवं 55 लीटर पेट्रोल, 210 लीटर डीजल को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने जब्त किया गया है कि अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज **02(क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04** का उल्लंघन किया है।

उक्त उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज 2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 जिसका उल्लंघन अंकित किया गया है वे धाराएं निम्न प्रकार से है :

> 2(q). **"Unautorized purchase"** means sale of product by a dealer or cousumer to another dealer or cousumer or to any other person in contravention of the directive issued for the purpose by the State Government of the oil companies or in contravention of any provision of this order
>
> 2(r) **"unauthorized possession"** meand keeping of motor spirit or high speed diesel or any petroleum product or its mixture, in contravention of the prov[illegible]s order, under the control of dealer or any [illegible]er pe[illegible] without valid sales documents issued by the con[illegible] oil company.
>
> 3(4) **No person other than the dealer or oil company shall be engaged in the business of selling produ[illegible]**
>
> 3(6) **No dealer, transporter, consumer or any other person shall indulge in any manner in any one or more of the malpractice.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या 08/2026
सरकार बनाम जयपाल
(GCMS No. 2026/14)

> 4. **Restriction on marketing of motor spirit and high speed diesel** - No person, other than those authorized by the Central Government, shall market and sell motor spirit or high speed diesel to consumers or dealers.

उक्त के अतिरिक्त विलायक, रेफिनेट और स्लॉप आदेश, 2000 का बिन्दु संख्या 12(2) पृष्ठ संख्या 187–188 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **12(2)** उपरोक्त **सभी पेट्रोलियम पदार्थो** के **भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलिमय वर्ग क, 2500 लीटर अविपुट पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब व बहस में उक्त जब्तशुदा MHO (पेट्रोलियम पदार्थ) 2000 लीटर एवं 55 लीटर पेट्रोल, 210 लीटर डीजल को अपने **जवाब में दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु रखा हुआ स्वयं ने माना है** तथा **इसीप्रकार अपने जवाब में भी ड्रम से मशीन में ईंधन डालने हेतु मोटर एवं पाईप का उपयोग सामान्य औद्योगिक प्रक्रिया बताया है।** इसप्रकार अप्रार्थी स्वयं ने अपने **जवाब में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ का व्यवसायिक एवं औद्योगिक विक्रय करना बताया है।** अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी दुकान में संचालित इलैक्ट्रोनिक आउटलेट रीडिंग मशीन मय नोजल लगाये जाने हेतु कोई लाईसेंस/दस्तावेज पेश नहीं किये है, **जबकि दुकान में पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय हेतु लगाई गई आउटलेट रीडिंग मशीन हेतु लाईसेंस की आवश्यता होती है,** जबकि **अप्रार्थी के अधिवक्ता ने आउटलेट रीडिंग मशीन लगाने हेतु किसी प्रकार के लाईसेंस/दस्तावेज पेश नहीं किये है।**

चूंकि उक्त अप्रार्थी से फर्द जब्ती के अनुसार जयपाल से पेट्रोलियम पदार्थ एवं आउटलैट रीडिंग मशीन आदि जब्त किया गया है और **उसके पास उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ के** लिए कोई **वैद्य** अनुज्ञा **पत्र/दस्तावेज नही है**, जिसके आधार पर पेट्रोलियम पदार्थ को अपने कब्जे में रख सके और विक्रय कर सके और न ही वाहन में आउटलेट रीडिंग मशीन लगाने हेतु कोई लाईसेंस की प्रति पेश की है। **अप्रार्थी [illegible]पाल [illegible] इतनी बडी मात्रा के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण कर विक्रय [illegible] है कि अप्रार्थी पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में लिप्त है। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ जो एक अत्यंत ज्वलनशील एवं विस्फोटक तरल पदार्थ है, को सुरक्षा की दृष्टि से दुकान में भण्डारण एवं विक्रय करना अत्यंत खतरनाक है। इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

1999 के क्लॉज 2(आई) की एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज2(क्यू) (आर),3(4)(6),4 के प्रावधानों की भी अवहेलना है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ व आउटलेट रीडिंग मशीन आदि राजसात किये जाने योग्य है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज **02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04** का उल्लंघन करने के कारण, **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर** द्वारा जब्तशुदा प्लास्टिक टैंको मय MHO (पेट्रोलियम पदार्थ) 2000 लीटर, 2 प्लास्टिक ड्रम (बरंग नीला), प्लास्टिक कैनी, 05 लोहे के माप, 01 लोहे की कीप, 01 हस्तचलित पम्प, आउटलेट रीडिंग मीटर, 01 मोटर मय पाईप, 01 हिसाब किताब रजिस्टर, प्लास्टिक बोतलें एवं 55 लीटर पेट्रोल, 210 लीटर डीजल को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। **जहां तक सील्ड की गई दुकान को अनसील्ड करने का प्रश्न है, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की सील्ड की गई दुकान को पुनः पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से भण्डारण/विक्रय/परिवहन नहीं करेगा, का शपथ पत्र प्राप्त कर, दुकान अनसील्ड करने का आदेश दिया जाता है।**

चूंकि पूर्व में जब्तशुदा डीजल ज्वलनशील द्रव्य है **व इसमें छिजत होने की संभावना होती है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 55 लीटर पेट्रोल, 210 लीटर डीजल एवं 2000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 55 लीटर पेट्रोल, 210 लीटर डीजल एवं 2000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं सूचनार्थ भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.04.2026 को मेरे द्वारा [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:12:38 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर